

विचार बिन्दु

मन की प्रसन्नता से समस्त मानसिक और शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। –रामदास

ज़मीनी संस्थाओं को अधिकार बिना विकेंद्रीकरण अधूरा

राजस्थान में शहरी निकायों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया में हैं। देश में पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुई थी। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों को लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में संसद और विधान मंडलों के बाद तीसरे स्तर की संवैधानिक मान्यता 1992 में जाकर मिली जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। तब इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा और दूरगामी परिवर्तन माना गयाथा।इन संविधान संशोधनों का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट और पवित्र था। सब चाहते थे कि सत्ता के अंतिम छोर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, स्थानीय लोगों को अपनी नियति का फैसला खुद करने का अधिकार हो और महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना साकार हो। किन्तु इस कदम के तीन दशकों बाद भी इस तीसरे स्तर की पूर्ण स्वायत्तता सपना ही बनी हुई है। अब भी इन संस्थाओं पर व्यावहारिक तौर पर राज्य सरकार का नियंत्रण बना हुआ है।

राज्य सरकारें अपने दलीय हितों के आधार पर उनके चुनाव कराती हैं जबकि संविधान संशोधन के बाद से ये चुनाव हर पांच साल में ठीक समय पर उसी प्रकार होने अनिवार्य हैं जिस प्रकार विधान सभा तथा संसद के चुनाव होते हैं। इस बार राजस्थान में ये चुनाव सर्वोच्च अदालत की दखल के बाद ही संभव हो पाये हैं। इन संस्थाओं के चुनाव में राजनैतिक दलों की दिलचस्पी उन संस्थाओं को मजबूत करने की यहीं, बल्कि उनके आधार पर विधानसभा और लोकसभा चुनावों की अपनी जमीन तैयार करने तक सीमित रह गई है। इन संस्थाओं में आने वाले प्रत्याशियों की लालायित नजर भी ऊपरी संस्थाओं के चुनावों पर ही लगी रहती है। जमीनी हकीकत यह है कि संसदीय प्रणाली का यह तीसरा स्तर अत्यंत कमजोर, संसाधनहीन और पंगु बना हुआ है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का जो दावा किया गया था, वह राज्य सरकारों के अत्यधिक हस्तक्षेप, नियंत्रण और आश्रयवादी रवैये के कारण दम तोड़ चुका है और सिर्फ़ रमस अदायगी रह गई है। स्थानीय निकाय तो स्वायत्त शासी संस्थाएं बनने के बजाय राज्य सरकारों के प्रशासनिक विभाग के रूप में ही काम करते नजर आते हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों स्थानीय स्वशासन का सपना पूरा नहीं हो पाया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े राजनेताओं को सत्ता में यह भागीदारी पसंद नहीं है। वे अपनी प्रभुता को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यह भी सच है कि तीसरे स्तर की इस कमजोरी का सबसे बड़ा कारण स्वयं संवैधानिक प्रावधानों के भीतर छिपी कुछ संरचनात्मक खामियां भी हैं। 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तो दिया, लेकिन उन्हें वास्तविक शक्तियां सौंपने का अंतिम अधिकार राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया।संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों के लिए 29 और शहरी निकायों के लिए प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क आदिजैसे 18 विषयों को शामिल किया हुआ है। लेकिन, संविधान यह अनिवार्य नहीं करता कि राज्य सरकारें इन सभी विषयों को स्थानीय निकायों को आवश्यक रूप से सौंपेंगी। राज्यों ने अपनी मर्जी से केवल उन्हीं महत्वहीन शक्तियों का हस्तांतरण किया, जिनसेउनका राजनीतिक नियंत्रण प्रभावित न हो।कई राज्यों में तो यह भी देखा गया है कि जो शक्तियां एक सरकार द्वारा पंचायतों को सौंपी गईं वे अगली सरकार राजनीतिक समीकरणों के आधार पर वापस ले ली गईं। यह लोकतंत्र के साथ एक घिनूना मज़ाक ही कहा जा सकता है। इस अर्निक्षतता के कारण तीसरा स्तर कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है।

किसी भी प्रशासनिक इकाई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो कोष,दूसरा कृत्य, औरतीसरा कृत्य निभाने के लिये कर्मचारी। भारतीय स्थानीय निकायों के संदर्भ में इन तीनों का ही घोर अभाव है, और यही उनकी राज्य सरकारों पर निर्भरता का मुख्य कारण भी है। स्थानीय निकायों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आर्थिक लाचारी है। वे अपने राजस्व के लिए पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। उनके निर्वाचित प्रतिनिधि राजनैतिक खांचों में इस तरह विभाजित रहते हैं कि निकाय के अपने संसाधन बढ़ाने के उपाय करने के सामूहिक नियंत्रण नहीं ले पाते हैं। राज्य सरकारों ने आय के बड़े और गतिशील स्रोतों को अपने पास रखा है। स्थानीय निकायों के पास केवल छोटे-मोटे कर, जैसे गृह कर, जल कर, या

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का जो दावा किया गया था, वह राज्य सरकारों के अत्यधिक हस्तक्षेप, नियंत्रण और आश्रयवादी रवैये के कारण दम तोड़ चुका है

है। आयोग की सिफारिशें लागू करना भी राज्य सरकार के रहम-अपे-कर्म पकर निर्भर करता है।

इस कारण पंचायतोंव शहरी निकायों को धन के लिए राज्य सरकार की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। भले ही कागजों में स्थानीय निकायों को कुछ कार्य सौंपे गए हैं, लेकिन व्यवहार में राज्य सरकारें समानांतर संस्थाओं के माध्यम से उन कार्यों को अपने नियंत्रण में रखती हैं। स्मार्ट सिटी मिशनऔर जल एवं स्वच्छता मिशन जैसी संस्थाएं सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं। ये संस्थाएं चुनी हुई निचली स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों का अतिक्रमण करतीहैं। यह भी विडंबना ही है कि स्थानीय निकायों के पास अपना स्वयं का कोई कैडर या समर्पित प्रशासनिक तंत्र नहीं है, इसलिए राज्य के अधिकारियों का वहां दबदबाबना रहता है। ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव और नगर पालिकाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कमिश्नर जैसे अधिकारी सीधे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये अधिकारी जनता द्वारा चुने गए सरपंच या मेयर के प्रति जवाबदेह होने के बजाय राज्य के मंत्रियों और सचिवों की अधिक सूची में। पंचायती राज का तीसरा स्तर मजबूत न बनने के पीछे एक बड़ा कारण राज्य स्तर के राजनेताओं का मिथ्या अभिमान और उनमें असुरक्षा की भावना भी है।यदि जिला परिषदों के अध्यक्ष, मेयर या सरपंच आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए, तो क्षेत्र में उनका अपना राजनीतिक कद बढ़ जाना स्वाभावित राजनेताओं को रास नहीं आता क्योंकि स्थानीय स्तर से नए और मजबूत नेता उभरते हैं तो पुराने नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है।

एक और विरोधाभास है। केंद्र और राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सीधे करोड़ों रुपये की राशि देती हैं। यह राशि उन कार्यों पर खर्च की जाती है जो आदर्श रूप से स्थानीय निकायों को करने चाहिए। यह व्यवस्था तीसरे स्तर की स्थानीय सरकारों की बाईपास करती है और जनता के बीच यह संदेश देती है कि विकास केवल विधायक या सांसद ही करा सकते हैं, न कि स्थानीय पार्षद या सरपंच।इसके अलावा, राज्य सरकारों के पास स्थानीय परिषदों को भंग करने या निर्वाचित प्रतिनिधियों को निलंबित करने की विशाल शक्तियां हैं, जिसका उपयोग अक्सर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों की अधिकांश योजनाएं लक्षित होती हैं। इन योजनाओं के लाभार्थियों के चयन की लगाम अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों पास होती है, न कि ग्राम सभा के पासा।जो पंचायतें या शहरी निकाय राज्य में सत्तारूढ़ दल की विचारधारा या स्थानीय विधायक के प्रति वफादार होते हैं, उन्हें तो विकास कार्य के लिए भरपूर फंड मिलता है, लेकिन इसके विपरीत, जहां विपक्ष समर्थित प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वहां के विकास कार्यों को ठप करने के ही जतन होते हैं। संविधान में महिलाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कियागया। लेकिन ज़मीनी स्तर पर पितृसत्तात्मक और सामंतवादी सोच ने इसे पूरा सफल नहीं होने दिया है।सुरक्षित सीटों से महिलाएं चुनाव तो जीत जाती हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता उनके पति, पिता या ससुर के हाथों में ही केंद्रित रहती है। आधिकारिक बैठकों में भी महिलाओं की जगह उनके पुरुष रिश्तेदार शामिल होते हैं।हालांकि अब पढ़ी लिखी नवयुवतियां अपनी हैसियत दिखाने लगी हैं लेकिन वे नगण्य हैं।

एक परिपक्व और मजबूत लोकतांत्रिक शासन इसआधे-अधूरे विकेंद्रीकरणके बाहर निकलने से ही संभव है। इसके लिए राजनैतिक रूछाशक्ति के साथ सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी बहुत जरूरी है। संविधान में युनः संशोधन करके 11 वीं और 12 वीं अनुसूची के विषयों को राज्यों के विवेक के बजाय, उन्हें स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाना इसका हल हो सकता है। साथ ही, केंद्रीय और राज्य करों में स्थानीय निकायों के हिस्से को जोएसटी की तर्ज पर सीधे और बिना किसी देरी के उनके खालों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिला योजना समितियों की भी वास्तविक रूप से सक्रिय करना होगा। नौकरशाही को स्थानीय निकायों के अधीन काम करने के लिये प्रेरित करना होगा, और उनके ऊपर रौब बनाये रखने वाली हालत बदलनी होगी। स्थानीय संस्थानों के लिए समर्पित प्रशासनिक केंडर बनाना होगा ,ताकि अधिकारी स्थानीय विकास के प्रति जवाबदेह बन सकें।इस प्रकार स्थानीय निकायों को राज्य के दखल और आश्रय के दुष्प्रक्र से बाहर निकालना ही असली हल है। इसीसे विकास का पहिया शीर्ष से नहीं, बल्कि जमीन से घूमना शुरू होगा।

अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा,
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राशिफल

बुधवार 7 अक्टूबर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत- 2०8३, पुष्य नक्षत्र रात्रि 11:०9 तक, शिव योग प्रातः 9:51 तक, वणिज करण राशि ३:०1 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति- सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 1०:०9 तक है। ज्वालामुखी योग रात्रि 1१:०9 से रात्रि 2:०8 तक है। भद्रा दिन ३:०1 से रात्रि 2:०8 तक रहेगी। आज दशमी का श्राद्ध है। **श्रेष्ठ जोषादिवा** - अमृत सूर्योदय से 7:52 तक, शुभ 9:2० से 1०:48 तक, चर 1:43 से ३:11 तक, लाभ अमृत ३:11 से सूर्यास्त तक। **राहुकाल-** 7:३0 से 9:०0 तक, सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:०6



मेघ घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।



तुला व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों उचित सफलता मिलेगी।



वृष व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आज अटका हुआ धन प्राप्त होगा।



वृश्चिक परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



मिथुन आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।



धनु चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में क्लियर होने का भय है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।



कर्क आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।



मकर परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आपसी सहयोग और सार्वजनिक समस्या का समाधान हो सकता है।



सिंह घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। अगर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।



कुंभ विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में शुभ संदेश प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी।



कन्या घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। अगर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।



मीन व्यावसायिक कार्यों संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सेवा, संकल्प और सुशासन के 2 5 वर्ष : विकसित भारत की ओर मोदी युग की नई यात्रा

मोदी जी के 25 वर्षों के सार्वजनिक नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने शासन को केवल सत्ता संचालन का माध्यम न मानकर जनसेवा और राष्ट्र निर्माण का संकल्प बनाया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।

सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष का सतत नेतृत्व अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। 7 अक्टूबर 2०01 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली थी। आज 7 अक्टूबर 2०26 को उनके शासनाध्यक्ष के रूप में 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 25 वर्षों की यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि बदलते भारत की आकांक्षाओं, आत्मविश्वास और विकास की यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर तीन बार देश के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में विकास, सुशासन, जनभागीदारी और राष्ट्र प्रथम की सोच को एक नई दिशा दी है।

मोदी जी के 25 वर्षों के सार्वजनिक नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने शासन को केवल सत्ता संचालन का माध्यम न मानकर जनसेवा और राष्ट्र निर्माण का संकल्प बनाया। गुजरात में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जल प्रबंधन, सिंचाई, बिजली, सड़क,

निवेश, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया।

वर्ष 2०14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी विकास दृष्टि राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई। जनधन से वित्तीय समावेशन, स्वच्छ भारत से स्वच्छता का जनआंदोलन, उज्ज्वला से महिलाओं के जीवन में सुविधा, प्रधानमंत्री आवास से गरीबों का सम्मानजनक आवास, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा, जल जीवन मिशन से घर-घर नल और डिजिटल इंडिया से तकनीक को आम नागरिक तक पहुंचाने जैसे प्रयाशों ने शासन की प्राथमिकताओं को व्यापक बनाया।

वर्ष 2०14 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की जिम्मेदारी संभाली, तब भारत के सामने गरीबी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, वित्तीय समावेशन, कमजोर आधारभूत ढांचा, रोजगार की आवश्यकता और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करने जैसी बड़ी चुनौतियां थी। मोदी सरकार के 12 वर्षों की यात्रा

में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रेलवे, सड़क, विमानन, ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इन 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन लगभग चार गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लगभग सात गुना और मोबाइल फोन उत्पादन लगभग 35 गुना बढ़ा है। यह परिवर्तन उस भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो केवल बाजार नहीं, बल्कि उत्पादन, नवाचार और आत्मनिर्भरता का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मोदी युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के आत्मविश्वास में आया परिवर्तन भी है। आज भारत वैश्विक मंच पर अपनी बात अधिक आत्मविश्वास से रखता है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत', डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप इंडिया और नवाचार पर जोर ने युवा भारत की आकांक्षाओं को नई ऊर्जा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण और आर्थिक विकास की साथ लेकर चलने की नीति ने भारत को विकास यात्रा को नई दिशा दी है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप और नवाचार तथेा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी ने भारत की आर्थिक और तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाई देने का आधार तैयार किया है।

भारत की विकास यात्रा में डिजिटल क्रांति शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में से एक है। जनधन, आधार और मोबाइल ने वित्तीय समावेशन को नया स्वरूप दिया। अगस्त 2०26 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके थे। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं तथा ग्रामीण एवं अदृश्रंरही क्षेत्रों के लोगों की है। आज गांव का सामान्य नागरिक भी डिजिटल भुगतान करता है, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करता है और अनेक सरकारी सेवाएं अपने मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकता है।

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का आधार उसका बुनियादी ढांचा होता है। पिछले वर्षों में सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, मेट्रो और आधुनिक परिहहन व्यवस्था के विस्तार ने भारत की कनेक्टिविटी को

■ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शासनाध्यक्ष के रूप में 25 वर्ष पूर्ण करने पर मैं राजस्थान की जनता की ओर से हादिक शुभकामनाएं देता हूं : सीएम भजनलाल शर्मा

नई गति दी है। देश में सड़क निर्माण, आधुनिक एक्सप्रेसवे, नए हवाई अड्डे और बंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का विस्तार इस परिवर्तन की व्यापकता को दर्शाता है।

बेहतर सड़क यात्रा को आसान बनाने के साथ ही किसान को बाजार से जोड़ती है, उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ती है और छोटे शहरों को बड़े आर्थिक केंद्रों के करीब लाती है। यह निवेश वास्तव में भविष्य के भारत में निवेश है।

विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आयुष्मान भारत, जन औषधि, स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार, चिकित्सा शिक्षा में वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, किसान कल्याण, कौशल विकास और स्वरोजगार की योजनाओं ने विकास को मानवीय चेहरा प्रदान किया है।

भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका को भी नई प्राथमिकता मिली है। आज महिला केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, उद्यिमता, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भागीदार बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत की आधुनिकता उसकी सम्पत्ता से अलग नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर चलने की सोच भी स्पष्ट दिखाई देती है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन के महाकाल लोक जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का विकास यह संदेश देता है कि आधुनिक भारत अपनी जड़ों से जुड़कर ही विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सकता है।

पिछले वर्षों में भारत की वैश्विक भूमिका भी व्यापक हुई है। आर्थिक शक्ति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष, योग, जलवायु, वैक्सीन, वैश्विक दक्षिण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर भारत की आवाज पहले की

जन आंदोलन और जेन-जी : आवाज भी जरूरी, सावधानी भी



राजेन्द्र जोशी

लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति नागरिकों की जागरूकता, असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता और जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाने में निहित है। भारतीय संविधान नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होकर अपनी बात रखने का अधिकार देता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अनेक ऐसे जन आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने सरकारों और शासन व्यवस्था को जनता के सवालों पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। इन आंदोलनों में युवा शक्ति की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। आज देश में जेन-जी यानी नई पीढ़ी का युवा अपने आस्थापास की परिस्थितियों के पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से समझता है। उसके पास सूचना के अनेक माध्यम हैं, वह सवाल पूछता है, व्यवस्था से जवाब मांगता है और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यही लोकतंत्र की जीवंतता का संकेत है। लेकिन वर्तमान समय में जन आंदोलनों की परिस्थितियां भी बदली हैं। इसलिए जेन-जी को अपनी आवाज बुलंद करने के साथ-साथ कानूनी और संवैधानिक सीमाओं की समझ भी विकसित करनी होगी।

आंदोलन लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी अभिव्यक्ति है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत के विभिन्न सामाजिक आंदोलनों तक, जनता की सामूहिक आवाज ने देश की लोकतांत्रिक यात्रा को प्रभावित किया है। लोकतंत्र के मूलतंत्र जनता के लिए होती हैं और जनता को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, कर्मचारी, महिलाएं, सामाजिक संगठन और युवा जब किसी जनहित के प्रश्न को लेकर अपनी बात रखते हैं, तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। युवा शक्ति इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही है।

पिछले एक दशक में जन आंदोलनों का स्वरूप तेजी से बदला है। सोशल मीडिया ने आंदोलन को एक नया मंच दिया है। अब किसी मुद्दे को सामने लाने के लिए केवल सड़क पर उतरना ही आवश्यक नहीं है। एक पोस्ट, वीडियो या डिजिटल अभियान कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आंदोलनों में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई, मुकदमे, प्रशासनिक कार्रवाई अथवा अन्य प्रकार के दबाव की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। अलग-अलग मामलों में इन कार्रवाइयों के कारणों और औचित्य को लेकर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों के बीच मतभेद भी रहे हैं।

यही वह परिस्थिति है जिसमें युवा कार्यकर्ताओं को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आंदोलन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन जनता के हितों और नागरिक पत्रकारिता ने भी अपनी जगह बनाई है। यह शिकायत कई सामाजिक और राजनीतिक समूहों की रही है कि उनके आंदोलनों के मुख्यधारा के मीडिया में अपेक्षित स्थान नहीं मिलता। इस स्थिति में युवाओं को केवल मीडिया कवरेज पर निर्भर रहने के बजाय तथ्यात्मक और जिम्मेदार

आज का युवा तत्काल प्रतिक्रिया देने की आदत वाले डिजिटल वातावरण में जी रहा है। किसी घटना का वीडियो सामने आते ही हजारों लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जेन-जी को यह समझना होगा कि किसी आंदोलन की ताकत केवल भीड़ की संख्या में नहीं होती। उसकी वास्तविक ताकत उसके मुद्दे की प्रासंगिकता, तथ्यात्मक आधार, शांतिपूर्ण चर्च और व्यापक सामाजिक समर्थन में होती है। इसलिए किसी भी आंदोलन से पहले कानून की जानकारी लेना, प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता समझना, भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट में कानूनी सीमाओं का ध्यान रखना तथा अफवाहों से बचना जरूरी है।

लोकतंत्र में कानून का शासन आवश्यक है। सरकार और प्रशासन के पास कानून लागू करने की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी लोकतांत्रिक शासन की उत्तनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। युवा कार्यकर्ताओं को इसलिए केवल सरकार से ही नहीं, बल्कि अपने आंदोलन से भी जवाबदेही की अपेक्षा रखनी चाहिए। पारदर्शिता और कानून के प्रति जागरूकता आंदोलन को मजबूत बनाती है।

जन आंदोलनों के दौर में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी आंदोलन की मांग और उसके पीछे की वास्तविक समस्या समाज तक पहुंचाने का काम स्वतंत्र मीडिया कर सकता है। लेकिन आज समाजों के बीच सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिक पत्रकारिता ने भी अपनी जगह बनाई है। यह शिकायत कई सामाजिक और राजनीतिक समूहों की रही है कि उनके आंदोलनों के मुख्याधारा के मीडिया में अपेक्षित स्थान नहीं मिलता। इस स्थिति में युवाओं को केवल मीडिया कवरेज पर निर्भर रहने के बजाय तथ्यात्मक और जिम्मेदार

डिजिटल संचार का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अतृप्त जानकारी, पुराने वीडियो को नए घटनाक्रम से जोड़ना, भ्रामक विश्वास लगाना या किसी व्यक्ति के शिर्षक बिना प्रमाण आपाप लगाना आंदोलन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है।

जेन-जी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी आवाज भी उठाए और स्वयं को अनावश्यक कानूनी विवादों से भी बचाए। किसी भी बड़े आंदोलन से पहले उसकी मांगों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। आंदोलन का नेतृत्व और संगठनात्मक जिम्मेदारी तैय होनी चाहिए। कानूनी सलाह उपलब्ध होनी चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। युवा शक्ति को यह भी समझना होगा कि किसी आंदोलन में गिरफ्तारी या मुकदमा अपने आप में आंदोलन की सफलता या असफलता का प्रमाण नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब समाज उस मुद्दे को समझे, उस पर सार्वजनिक विमर्श हो और संबंधित संस्थाएं उस समस्या का समाधान तलाशें। आज के दौर में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष, मीडिया, न्यायपालिका, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज-सभी की अपनी भूमिका है। जेन-जी को अपने समय के सामाजिक प्रश्नों से दूर नहीं रहना चाहिए। बेरोजगारी, शिक्षा, पर्यावरण, महंगाई, सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा, तकनीक, रोजगार और नागरिक अधिकार जैसे अनेक विषय ऐसे हैं जिन पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

लेकिन सक्रियता और अराजकता में अंतर है। असहमति और हिंसा में अंतर है। सवाल पूछना और कानून

तोड़ना एक बात नहीं है। सरकार की आलोचना और व्यक्तिगत अपमान अलग-अलग चीजें हैं। यही अंतर युवा पीढ़ी को समझना होगा।

आज आवश्यकता ऐसी युवा शक्ति की है जो न डरकर चुप बैठे और न ही आवेश में ऐसा कदम उठाए जिससे उसकी आवाज ही कानूनी उलझनों में दब जाए। लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उस अधिकार का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल। जेन-जी को अपनी बात बेबाकी से रखनी चाहिए, तथ्यों के साथ रखनी चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से रखनी चाहिए। उन्हें संविधान, कानून और अपने नागरिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। यदि कहीं उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक और न्यायिक रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। आवाज उठाना लोकतंत्र की ताकत है। सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। असहमति लोकतांत्रिक समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में विवेक, संयम और कानूनी जागरूकता को साथ रखना आज की जेन-जी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है।

लोकतंत्र में आवाजें कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होतीं। वे दबाई जाएं तो दूसरे रास्ते तलाशती हैं, सवालों के रूप में सामने आती हैं और नए संवाद को जन्म देती हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को न तो मौन रहना है और न ही अनावश्यक टकराव में अपनी ऊर्जा खोनी है। उसे जागरूक नागरिक की तरह अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करनी है।

राजेन्द्र जोशी
शिक्षाविद-साहित्यकार
लेखक सोशल एक्टिविस्ट
भी है।